

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/102/2017

प्रवेश तिथि

17-07-2017

निर्णय दिनांक

30-05-2018

01- हीरालाल पुत्र बनैसिंह जाति गुर्जर

02- सुन्दरलाल पुत्र बनैसिंह जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ  
दिनांक 06.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 24/2017

उपस्थित:-

01-लक्ष्मणसिंह पोसवाल

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 06.03.2017 जिसके द्वारा ग्राम नौगावा की सरकारी गैर मुमकीन खार भूमि के आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.35 है0 में से 0.35 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नौगावा की सरकारी गैर मुमकीन खार भूमि के आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.35 है0 में से 0.35 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 27.01.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 06.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 17.07.2017 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब चार माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2017 में कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नौगावा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)